न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 28/23 GCMS NO 2023/75

1. उदयभान सिह पुत्र रामस्वरूप जाति राजपूत निवासी मैगरी हाल नवी मुम्बई
2. इन्द्रभान सिह पुत्र रामस्वरूप सिह जाति राजपूत निवासी मैगरी तहसील मासलपुर हाल निवासी जिला रायगढ महाराष्ट्र
3. हरिओम सिह पुत्र रामस्व सिह जाति राजपूत निवासी मैगरी तहसील मासलपुर जिला करौली
4. श्रीमती कमला पत्नि स्व0रामस्वरूप सिह जाति राजपूत निवासी मैगरी तहसील मासलपुर जिला करौली
5. मानसिह पुत्र सुमेर सिह जाति राजपूत(मृतक)
   5/1. श्रीमती उषा पत्नि स्व0मानसिह
   5/2. डिग्गु पुत्र स्व0मानसिह जातियान राजपूत निवासी प्लाट न0 7 सिविल कालोनी झालानी मस्जिद के पीछे वार्ड पाल रोड बादीकुई जिला दौसा
6. विकय सिह पुत्र सुमेर सिह जाति राजपूत निवासी प्लाट न0 7 सिविल कालोनी झालानी मस्जिद के पीछे वार्ड पाल रोड बांदीकुई जिला दौसा
7. श्रीमती हनी पुत्री सुमेर सिह पत्नि राकेश सिह जाति राजपूत निवासी रेनवाल जिला जयपुर
8. श्रीमती रज्जो पुत्री रामस्वरूप सिह पत्नि दशरथ सिह जाति राजपूत निवासी मैगरी हाल निवासी बासेड जिला अलवर
9. श्रीमती शशी पुत्री रामस्वरूप सिह पत्नि गोपाल सिह जाति राजपूत निवासी मैगरी हाल निवासी अनंत बाडा जिला दौसा
10. उत्तम सिह पुत्र गजाधर सिह जाति राजपूत (मृतक)
    10/1. अंकलेश सिह पुत्र स्व0उत्तम सिह
    10/2. सीमा पुत्री स्व0उत्तम सिह
    10/3. रीना पुत्री स्व0 उत्तम सिह जातियान राजपूत निवासीयान मैगरी तहसील मासलपुर जिला करौली
11. कृपाल सिह पुत्र सवाई सिह जाति राजपूत निवासी मैगरी तहसील मासलपुर जिला करौली
12. शिशुपाल सिह पुत्र सवाईसिह जाति राजपूत निवासी मैगरी तहसील मासलपुर जिला करौली
13. रामपाल सिह पुत्र सवाई सिह जाति राजपूत निवासी मैगरी तहसील मासलपुर जिला करौली
14. महेश पाल सिह पुत्र सवाई सिह जाति राजपूत(मृतक)
    14/1. भानू प्रताप पुत्र स्व0महेश पाल
    14/2. श्रीमती निर्मला पत्नि स्व0महेश पाल जातियान राजपूत निवासीयान मैगरी तहसील मासलपुर जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमति राजबाई पत्नि स्व0श्याम सिंह (मृतक) ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:49:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

2. जगदीश सिह
3. बाबू सिह
4. महेश सिह
5. परशुराम पुत्रान स्व0श्याम सिह जातियान राजपूत निवासीयान मैगरी तहसील मासलपुर जिला करौली
6. श्रीमति रेखा देवी पुत्री स्व0श्याम सिह एवं पत्नि लक्ष्मण सिह राजपूत सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम मैगरी तहसील मासलपुर हाल पाडा तहसील राजगढ जिला अलवर
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मासलपुर जिला करौली

(अपील विरूद्व मु0नं0 200/08 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.01.23 न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम पाल सिह
अभिभाषक रैस्पो0 श्री विष्णु चंद बंसल

दिनांक 13.5.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.1.23 न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पो0 द्वारा दावा तकासमा आराजीयात इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा न0 2734 रकबा 5 विस्वा, 2735 रकबा 8 विस्वा, 2736 रकबा 4 विस्वा, 2737 रकबा 8 विस्वा, 2738 रकबा 7 विस्वा, 2740 रकबा 4 विस्वा, 2748 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा, 2784 रकबा 1 बीघा, 2914 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, 2915 रकबा 1 विस्वा, 2918 रकबा 2 विस्वा, 2917 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, 2958 रकबा 19 विस्वा, 2961 रकबा 13 विस्वा, 3065 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा, 3080 रकबा 3 बीघा 12 विस्वा, 3081 रकबा 5 बीघा 6 विस्वा, 3087 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा, 3088 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा, 3089 रकबा 8 विस्वा , 3090 रकबा 3 बीघा 4 विस्वा, 3099 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा, 3100 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा, वाके ग्राम फतेहपुर सब तहसील मासलपुर स्थित है। जो वादी एवं प्रतिवादी न0 1 व 2 1/6 के हिस्सेदार व प्रतिवादी 3 व 4 1/3 के हिस्सेदार है। आराजीयात मुतदाविया फरीकेन अपनी सहूलियत से अनुसार काश्त करते है। और खाता फरीकेन मुश्तर्का तौर पर चला आ रहा है यह आराजीयात मौरूसी शामलाती है। और काश्त के बारे मे पक्षकारो के मध्य काफी परेशानी व तनाजा होता है ना ही आराजीयात की संभाल भी अच्छी तरह हो सकती है। वादी अकेला व्यक्ति है । प्रतिवादीगण लडाकू व शहजोर है वादी को परेशान करने पर तुले हुए है यहॉ तक कि वादी की तैयार शुदा फसल को प्रतिवादीगण काट ले जाते है। इसलिए आराजीयात का तकासमा करना अब आवश्यक है। प्रतिवादीगण से वादी ने कई बार तकासमा कराने की कही और गांव वालो के मौजूदगी मे प्रतिवादीगण ने तकासमा करने का वायदा किया मगर आज तक अलग

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:49:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अलग हिस्से करके उन्होने तकासमा नही किया । यही वजह नालिश है बिनाय मुसास्मत जुलाई 77 मे तकासमा नही करने पर पैदा हुई। अतः दावा आराजीयात का तकासमा पैरा न0 अर्जी दावा मे निस्फ 1/2 हिस्सा कराया जाकर वादी के हिस्से की आराजी का कब्जा दिलाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ वादीगण/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय आरबीट्रेरी परवर्स है तथा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य की सही विवेचना किये बिना ही पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है। दौराने दावा अपीलार्थीगण ने जबाब दावा पेश किया है जिसमे अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण द्वारा बंटवारा हेतु दायर किये गये मे आराजीयात खसरा न0 2741, 2749, 2990,2892,3335 एवं 3102 वाके ग्राम फतेहपुर को बंटवारे के दावे मे सम्मिलित नही किये जाने के कारण दावा चलने योग्य नही होने के अभिवचन किये है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस अभिवचन के आधार पर विवाधक विरचित नही किया तथा इस महत्वपूर्ण आपत्ति को नजर अंदाज करके वादी के हक मे प्राथमिक डिक्री पारित कर विधि की गंभीर भूल की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट/प्रतिवादीगण ने जबाब दावा प्रस्तुत कर जबाब दावा मे आराजीयात ख0न0 2885,2886,2887,2888 वाके ग्राम फतेहपुर को प्रतिवादीगण की जागीर की भूमि होने तथा इस आराजीयात को प्रतिवादीगण रामस्वरूप सिह ,उत्तम सिह के पिता गजाधर सिह व इनके भाई कमल सिह तथा प्रतिवादी सवाई सिह व लल्लू सिह द्वारा खुदकाश्त किये जाने और वादी की जानकारी मे इस आराजी पर खुले तौर पर एडवर्सली होस्टायली बिना रोक टोक के इस आराजी पर प्रतिवादीगण के मुखलफाना कब्जे मे चले आना व कभी भी वादी द्वारा इस भूमि को काश्त नही करने के बाबजूद भाई बंधू होने के एक मात्र आधार पर इन खसरा न0 2885,2886,2887,2888 की भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक ना होने के बाबजूद गजाधर सिह ,कमल सिह, सवाई सिह व लल्लू सिह द्वारा वादी के नाम खातेदारी दर्ज करवा देने तथा वादी को वादग्रस्त भूमि मे किसी कदर बंटवारा कराने का अधिकारी होना निर्णित किये जाने की स्थिति मे इन खसरा न0 2885 लगायत 2888 की भूमि को भी बंटवारे मे शामिल किये जाने के अभिवचन लिये थे। इन अभिवचनो के अनुसार प्रतिवादीगण की साक्ष्य मे इन्हे शपथ पत्र साक्ष्य देकर साबित भी किया गया था जिस संबंध मे अधिनस्थ न्याया[illegible]क विरचित किये बिना इस महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी कर वादी [illegible] से दावा डिक्री कर विधि की भारी भूल की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का [illegible] योग्य है। दौराने दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:49:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण ने जबाब दावा मे वक्त जागीर विवादित आराजीयात को पक्षकारान की संयुक्त जागीर की ना होकर केवल गजाधर सिह, कमल सिह, सवाई सिह व लल्लू सिह के अलग से हिस्से मे आयी जागीर की भूमि होना तथा उसके लम्बी अवधि तक वादी की जानकारी मे स्वयं के द्वारा जाहिद काश्त करने के कारण अपने बतौर जागीरदार मुखालफाना कब्जे मे सेटलमेंट हाल के समय बतौर जागीरदार कब्जे काश्त मे होने के कारण इस मात्र खातेदार होने के अभिवचन लिए है तथा वादी इस आराजीयात पर कभी कब्जा काश्त नही होने व राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम दर्ज हो जाने के कारण हिस्सा वादी द्वारा मांगे जाने पर सन 1961–62 मे खसरा न0 2885 लगायत 2888 को मिलाकर मुतनाजा आराजीयात के संबंध मे वादी द्वारा बंटवारा चाहने व वादी ने भूरे सिह पुत्र चौरजी सिह,विशनबाई,नारायण सिह,रामकिशन से बंटवारा कराने की कहने पर गांव के पांच आदमी जोडने व पांच आदमीयो द्वारा इस पंचायत मे प्रतिवादीगण को बुलाने व वादी द्वारा तीसरे हिस्से का बंट मांगे जाने पर पंचो के कहे अनुसार ख0न0 2885 लगायत 2888 का सम्पूर्ण रकबा 4 बीघा 5 विस्वा एवं खसरा न0 3080 का पश्चिमी आधा हिस्सा, ख0न0 3081 मौसूमा डांडा का तीसरा मध्य का हिस्सा व ख0न0 3087 मौसूमा बन्ध की पाटी का पूर्वी आधा हिस्सा वादी को देने व इसके बाद वादी द्वारा विवादित आराजी मे से वादी द्वारा अपने हक एवं हकूक त्याग देने बाबत अभिवचन लिये तथा अभिवचनो मे दर्ज तथ्यो को अपनी सशपथ साक्ष्य से साबित किया है। शपथ पत्र मे किये गये उक्त कथनो पर वादी की और से कोई जिरह नही की गई है इस प्रकार इन बिन्दु पर प्रतिवादी द्वारा किये गये कथन अनकोरड है विधि अनुसार इस प्रकार के अनकोस्ट कथन वादी द्वारा स्वीकृत माने जाने योग्य है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इन अभिवचनो व तथ्यो पर गौर किये बिना इनकी अनदेखी कर बिना तनकी विरचित किये हुए दावा प्राथमिक डिक्री जारी कर विधिक भूल की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। वादी सन 1961–62 मे उक्तानुसार बंटवारे होने के बाद संतुष्ट होकर अपने हक व हिस्से मे आई भूमि को काश्त करता रहा है व इस बंटवारे की लिखापढी को प्रतिवादीगण ने सन 1970–71 के करीब प्रतिवादीगण से लेकर गायब कर दिया व इसका अनुचित लाभ लेकर 1971 मे वादी ने दीवानी न्यायालय मे रिहायशी मकानीयत व काश्ता आराजीयात के बंटवारे हेतु दावा दायर किया जो दिनांक 26.10.77 को अवेट होकर खारिज हो गया। इस प्रकार वादी को दुबारा बंटवारा हेतु दावा पेश करने का कोई हक नही है किन्तु इस तथ्य को भुलाकर प्राथमिक डिक्री पारित कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक की गंभीर भूल की है। प्रतिवादीगण ने अपने जबाब दावे मे मे स्पष्टतः विस्तृत अभिवचन इस आशय के लिए है कि वादी ने अगस्त 1978 मे मकान एवं आराजीयात का बंटवारा किये जाने हेतु पंच इक्ठठे किये जिनके समक्ष पक्षकारो मे एक बार पुनः स्वेच्छा से बंटवारा होकर विवादित भूमि की एवज मे पूठ वाली हावरी के बगल की व नीचे कोनाटिया वाले की बगल की 8 बीघा जमीन वादी को दिये जाने व इस जुबानी बंटवारे के बाद इसकी याददास्ती हिस्सा फर्द बाबत लिखावट किया जाना व इस पर वादी [illegible] तथा पंचो के हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त प्रकरण मे इस [illegible] वादी ने जिरह भी की गई जिन्होने ऐसी लिखापढी नही होने का कथन ना कर [illegible] जाहिर की है। जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:49:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उक्त लिखावट को प्रतिवादी पक्ष ने प्रदर्श ए–1 के रूप मे पेश कर साबित भी करवाया है। प्रदर्श ए–1 दस्तावेज का स्टाम्पित अथवा रजिस्टर्ड होना आवश्यक नही था तथा साक्ष्य मे ग्रहण होने के बाबजूद इसका साक्ष्य मे ग्राहय ना होना बताकर इसकी अनदेखी कर दावे मे प्राथमिक डिकी पारित कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की गंभीर भूल की है। इस कारण निर्णय व प्राथमिक डिकी अपास्त योग्य है। दौराने दावा प्रतिवादिया संख्या 3/1 एवं प्रतिवादिया संख्या 4/1 का देहान्त हो गया व वादी एवं उक्त प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है व वादी को इन प्रतिवादियों के देहान्त की शुरू से ही जानकारी रही है किन्तु वादी ने मृतक दोनो प्रतिवादियां की मृत्यु के बाद कायम मुकामी कार्यवाही नही की इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी मृत प्रतिवादियां के विरूद्व पारित होने से नलिटी एवं शून्य प्रभावी है। प्रतिवादिया संख्या 3/1 व 4/1 की मृत्यु दौराने दावा होने से इन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। अतः निर्णय एवं प्राथमिक डिकी अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 24.1.23 अपास्त फरमाया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को खारिज फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि आराजी खसरा न0 2734 रकबा 5 विस्वा, 2735 रकबा 8 विस्वा, 2736 रकबा 4 विस्वा, 2737 रकबा 8 विस्वा, 2738 रकबा 7 विस्वा, 2740 रकबा 4 विस्वा, 2748 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा, 2784 रकबा 1 बीघा, 2914 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, 2915 रकबा 1 विस्वा, 2918 रकबा 2 विस्वा, 2917 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, 2958 रकबा 19 विस्वा, 2961 रकबा 13 विस्वा, 3065 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा, 3080 रकबा 3 बीघा 12 विस्वा, 3081 रकबा 5 बीघा 6 विस्वा, 3087 रकबा 4 बीघा 19 विस्वा, 3088 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा, 3089 रकबा 8 विस्वा , 3090 रकबा 3 बीघा 4 विस्वा, 3099 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा, 3100 रकबा 2 बीघा 4 विस्वा, वाके ग्राम फतेहपुर सब तहसील मासलपुर स्थित है। जो रेस्पो/वादी एवं अपीलांट/प्रतिवादी न0 1 व 2 1/6 के हिस्सेदार व अपीलांट/प्रतिवादी 3 व 4 1/3 के हिस्सेदार है। आराजीयात मुतदाविया फरीकेन अपनी सहूलियत से अनुसार काश्त करते है। और खाता फरीकेन मुश्तर्का तौर पर चला आ रहा है यह आराजीयात मौरूसी शामलाती है। और काश्त के बारे मे पक्षकारो के मध्य काफी परेशानी व तनाजा होता है ना ही आराजीयात की संभाल भी अच्छी तरह हो सकती है। इसके कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे बंटवारे हेतु वाद पत्र पेश किया गया था। अपीलांट का कथन रहा कि विवादित आराजीयात के बाबत पक्षकारो के मध्य पंच पटेलो के समक्ष बंटवारा हो चुका है। उक्त बंटवारे पर वादी एवं प्रतिवादी के हस्ताक्षर है। उक्त बंटवारानामा को वादी द्वारा गायब कर दिया गया है। अपीलांट का यह कथन मिथ्या है क्योकि पक्षकारो के मध्य कोई बटवारा नही हुआ है। विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने के कारण ही बंटवारे का दावा पेश किया गया था जिसका वादी को पूर्ण अधिकार हासिल है। [illegible] द्वारा विधिवत रूप से तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर विवेचन करने के उप[illegible]थमिक डिकी पारित की गई है। चूकि: विवादित आराजीयात की मीट[illegible] आना शेष है उससे पूर्व ही अपीलांट द्वारा यह अपील [illegible] प्रस्तुत कर दी है जबकि प्राथमिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:49:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

डिकी की अपील करने का अपीलांट को कोई अधिकार नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2030 से 2033 मे वादी/रेस्पो0 1/2 हिस्से व एक प्रतिवादीगण/अपीलांटगण 1/2 हिस्से के सहखातेदार है। कोई भी सहखातेदार अपनी भूमि का बंटवारा कराने का अधिकार कानूनन रखता है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि विवादित आराजीयात का पूर्व मे पंच पटेलो के समक्ष बंटवारा हो चुका है जिसकी तहरीर पत्रावली मे संलग्न है। उक्त तहरीर एक अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसको बंटवारे का आधार नही माना जा सकता है ना ही अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर किसी को खातेदार घोषित नही किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र मे तीन तनकीयात कायम की जाकर तनकी संख्या 2 व 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी/अपीलांट पर नियत किया था परन्तु अपीलांट/प्रतिवादीगण उक्त दोनो तनकीयात को साबित करने मे असफल रहे है। तनकी संख्या 1 ता 3 वादी/रेस्पो0 के पक्ष मे राजस्व रिकार्ड से सिद्व हुई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की गई है। जो विधि के प्रावधानो के तहत ही जारी की गई है। इस प्रकार उक्त विवेचन से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक निर्णय होने से उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के मु0नं0 200/08 मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 24.01.23 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.5.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:49:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner